

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 22.10.18

संख्या-12/प0-(मू0को0)-405/14-सा0प्र0- 1394S /बिहार प्रशासनिक सेवा के के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, को० क० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री चेत नारायण राय, 1060/11, वैशाली	अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर, सारण।	वरीय उप समाहर्ता, रोहतास। (उप सचिव स्तर में उत्कमित)
2	श्री विमल कुमार मंडल, 787/11, अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी।	वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज।
3	श्री रविशंकर शर्मा, 1382/11, कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली।	वरीय उप समाहर्ता, गया।
4	श्री अनिल कुमार, 1172/11, नालन्दा	अनुमंडल पदाधिकारी, फारविसगंज, अररिया।	वरीय उप समाहर्ता, पटना। (उप सचिव स्तर में उत्कमित)
5	श्री शैलेश कुमार दास, 1071/11, झारखंड	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर।	वरीय उप समाहर्ता, गया। (उप सचिव स्तर में उत्कमित)
6	श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, 1271/11, गोपालगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, पटना।	सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, पटना।
7	श्री सृष्टिराज सिन्हा, 1339/11, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा।	वरीय उप समाहर्ता, सहरसा।
8	श्री सुवीर रंजन, 1087/11, मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।	वरीय उप समाहर्ता, पटना।

- वरीय उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित होनेवाले उपर्युक्त पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियों प्रदत्त की जाती है।
- स्थानान्तरण/पदस्थापन के उपर्युक्त निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विमलेश कुमार झा  
22/10/18

(विमलेश कुमार झा)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0)-405/14-सा0प0-1394S /पटना-15, दिनांक- 22.10.18  
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार  
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम  
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण  
कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव,  
माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भविष्य  
निधि निदेशालय, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के  
प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइड पर  
अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा- 2, 8 एवं चारित्री कोषांग,  
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वि.सू.सू.  
22/10/18  
सरकार के अपर सचिव